

न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

(चिन्मयी गोपाल, आई०ए०एस०द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

09 / 2020
15.01.2020

प्रहलाद पुत्र लोडक्या जाति गीना निवासी गंगाली तहसील उनियारा जिला टोंक राज०
अपीलान्ट

बनाम

नायब तहसीलदार सोप जिला - टोंक

रेस्पॉण्डेंट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध
निर्णय नायब तहसीलदार सोप दिनांक 22.10.2019 मिसल नम्बर 370 / 2019

उपस्थिति : (1) श्री देवी प्रकाश तिवाड़ी, अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री रामप्रसाद कुमावत, नायब तहसीलदार राजकीय परोकार

निर्णय

दिनांक 09.06.2022

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सोप ने अपने निर्णय दिनांक 22.10.2019 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 636 रकबा 0.04 है० एवं खसरा नम्बर 643 रकबा 0.01 है० किरम गै०मु० रास्ता वाके ग्राम गंगाली तहसील उनियारा में राजकीय भूमि पर बाडा बनाकर रास्ता अवरुध कर अतिक्रमण करने के कारण पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए भूमि से वेदखल करने, 500/रु. पेनल्टी कायम कर 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार सोप के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलवी रेस्पॉण्डेंट जसिण् सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलव की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय परोकार की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस पर अपीलान्ट की प्रोपर तामिल नहीं हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सुने व बिना साक्ष्य सवृत पेश करने का अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट का उक्त भूमि पर वर्तमान में कोई कब्जा नहीं है ना ही पूर्व में कोई कब्जा किया था। पटवारी हल्का ने बिना कब्जे के ही अपीलान्ट के विरुद्ध अतिक्रमण की रिपोर्ट पेश की है। पटवारी



जिला कलेक्टर
टोंक



हल्का द्वारा दिनांक 29.11.2019 को प्रस्तुत रिपोर्ट में अपीलान्ट का उक्त भूमि पर कब्जा नहीं होना अंकित किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।


अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय पेंरोकार ने कथन किया कि अपीलान्ट को विवादित भूमि खसरा नम्बर नम्बर 636 रकबा 0.04 है 0 एवं खसरा नम्बर 643 रकबा 0.01 है 0 किस्म गै0मु0 रास्ता वाके ग्राम गांगली तहसील उनियारा में राजकीय भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर बाड़ा बनाकर रास्ता अवरुध करने पर नायब तहसीलदार सोप द्वारा भूमि से बेदखल करने, पेनल्टी कायम कर 90 दिवस की सिविल कारावास की दजा से दण्डित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिवत नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया है, जिस पर अपीलान्ट की विधिवत तामील हुई है, परन्तु अपीलान्ट न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये है। अपीलान्ट ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था, जो पटवारी रिपोर्ट एवं बयान से सिद्ध है। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है और राजकीय भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स एवं राजकीय पेंरोकार की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की अपीलान्धीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलान्ट की ओर से धोलू की तामील हुई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये है। अपीलान्ट द्वारा भूमि खसरा नम्बर नम्बर 636 रकबा 0.04 है 0 एवं खसरा नम्बर 643 रकबा 0.01 है 0 किस्म गै0मु0 रास्ता वाके ग्राम गांगली तहसील उनियारा पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर बाड़ा बनाकर रास्ता अवरुध कर अतिक्रमण किया है, जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं बयानों से सिद्ध है। अपीलान्ट ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं0 273/2018 निर्णय दिनांक 26.11.2018 से भूमि से बेदखल किया गया है। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहते हैं और राजकीय भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने के आदी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सोप का निर्णय दिनांक 22.10.2019 यथावत रखा जाता है। रथगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 09.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर
दो. टोंक